बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 84 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 09 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

उमर खालिद कभी मेरा गुरु नहीं रहा...दिल्ली दंगा षड्यंत्र केस में शरजील इमाम का बड़ा बयान

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र के मामले में आरोपित शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा अदालत में अहम बयान देते हुए कहा कि उमर खालिद कभी उनके गुरु या मार्गदर्शक नहीं रहे। शरजील ने स्पष्ट किया कि उनके और उमर खालिद के बीच न तो जेएनयू के समय कोई नजदीकी संबंध था और न ही वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से पहले या बाद में किसी प्रकार का समन्वय रहा। शरजील की ओर से यह दलील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में आरोप तय किए जाने के दौरान दी गई। शरजील इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष बिना ठोस साक्ष्यों के शरजील और उमर खालिद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

कैशकांड : जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, लोकसभा स्पीकर कमेटी के सामने 12 जनवरी को ही होना होगा पेश

नई दिल्ली।

कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट वर्मा की पेश होने की समयसीमा बढ़ाने की उनकी मांग खारिज कर की है. कोर्ट ने साफ कहा कि जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी को कमिटी के सामने पेश होना ही होगा. इस कमिटी का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था.

कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमिटी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है लेकिन जस्टिस वर्मा को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने समिति के गठन में खामियों की ओर इशारा करते हुए भी कई टिप्पणियां कीं.

दुर्भावना जैसा प्रतीत होता है- SC

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह दुर्भावना की मंशा नहीं, बल्कि कानून में दुर्भावना जैसा प्रतीत होता है. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने लोकसभा महासचिव की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ बातें पहले ही सार्वजनिक डोमेन में थीं, जिनकी हमने आलोचना की थी. कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश फैसला सुनाए जाने के बाद पारित हुआ, तो वह

सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि भविष्य के लिए इस पर टिप्पणी करनी पड़ सकती है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि लोकसभा अध्यक्ष ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया है.

क्या है जस्टिस वर्मा की आपत्ति?

जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति को चुनौती दी है. उनका तर्क है कि Judges (Inquiry) Act, 1968 में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग नोटिस दिए जाने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति से परामर्श किए बिना समिति गठित की.

कानूनी प्रावधान क्या है?

याचिका में Judges (Inquiry) Act, 1968 की धारा 3(2) के प्रावधान का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दोनों सदनों में एक ही दिन महाभियोग प्रस्ताव दिए जाएं, तो समिति का गठन तभी होगा जब दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार हो जाएं, और ऐसी स्थिति में समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति संयुक्त रूप से करेंगे.

अदालत की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया समिति के गठन में प्रक्रिया संबंधी खामी मानी है लेकिन अदालत यह भी देख रही है कि क्या यह खामी इतनी गंभीर है कि न्यायिक हस्तक्षेप किया जाए. अब इस संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा.

दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश रखा बरकरार; बनेगी कमेटी

नई दिल्ली।

दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए स्कूल स्तर की समितियां बनाने का निर्देश देने संबंधी दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को इन्कार कर दिया। हालांकि, अदालत ने पहले से तय 10 जनवरी की तारीख की जगह 20 जनवरी तक कमेटियां गठित करने की बात कही है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा कमेटी को प्रस्तावित फीस जमा करने की आखिरी 25 जनवरी के पूर्व निर्धारित तारीख के बजाय पांच फरवरी तक बढ़ा दी जाएगी। अदालत ने उक्त आदेश निजी स्कूलों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।

संवैधानिक वैधता को चुनौती

याचिका में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और रेगुलेशन में

पारदर्शिता) अधिनियम-2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। नया कानून यह अनिवार्य करता है कि निजी स्कूलों में सभी फीस बढ़ोतरी को माता-पिता, स्कूल प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों वाली एक पारदर्शी, तीन-स्तरीय कमेटी व्यवस्था के माध्यम से मंजूर किया जाना चाहिए। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी एक अधिसूचना को भी चुनौती दी गई थी।

कमेटी में कौन-कौन होगा शामिल?

अधिसूचना में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 10 जनवरी 2026 तक एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (एसएलएफआरसी) बनाने का निर्देश दिया गया था। कमेटी में एक चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, पांच माता-पिता, तीन शिक्षक और डीओई से एक प्रतिनिधि को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। स्कूलों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। रोहतगी ने कहा कि अधिसूचना पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह अधिनियम के विपरीत और अवैध है। वहीं, कानून का बचाव करते हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा कि यह संवैधानिक है और स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

जवाब दाखिल करने को कहा

मामले में कुछ देर सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इसके निर्देशों का पालन करने का समय बढ़ा देगा। एएसजी ने अधिकारियों से निर्देश लेने के बाद इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। इस पर कोर्ट ने अधिसूचना का पालन करने का समय बढ़ा दिया। इसने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा।

पर्यावरणीय मंजूरी के नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सरकार की ओर से किए गए उस नीतिगत बदलाव की बृहस्पतिवार को कड़ी आलोचना की, जिसके तहत गैर-कोयला खनन परियोजना विकासकर्ताओं को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा कि यह जिम्मेदार पर्यावरणीय शासन पर ''मोदी सरकार का एक और प्रहार है। पर्यावरण मंत्रालय के हालिया ज्ञापन के अनुसार, गैर-कोयला खनन परियोजना विकासकर्ताओं को अब पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। अब तक, मंत्रालय को भूमि अधिग्रहण का प्रमाण देना आवश्यक होता था। कांग्रेस महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा, ''गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए नीति यह रही है कि पहले कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाए और उसके बाद ही पर्यावरण संबंधी मंजूरी मांगी जा सकती है। हालांकि, 18 दिसंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस नीति में बदलाव किया और अब गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले पर्यावरण संबंधी मंजूरी मांगी जा सकती है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गैर-कोयला खनन परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की पूरी जानकारी के बिना सार्थक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कैसे किया जा सकता है, रमेश ने कहा, ''यह नीतिगत बदलाव देश में जिम्मेदार और जवाबदेह पर्यावरण प्रशासन के लिए मोदी सरकार का एक और झटका है। पूर्व के नियम पर इसलिए पुनर्विचार किया गया क्योंकि यह अनुरोध किया गया था कि गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करते समय भूस्वामियों की सहमति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण की स्थिति को मंजूरी प्रदान करने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

दिल्ली विधानसभा में हंगामा: विधायकों के बीच नोकझोंक...कार्यवाही स्थगित; मंत्री कपिल मिश्रा से इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में गुरूवार को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे की शुरुआत भाजपा विधायकों द्वारा की गई, जो मंत्री आतिशी की एक टिप्पणी को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वे मंत्री आतिशी की टिप्पणी का विरोध कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे। इस दौरान, आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। जैसे ही आप विधायक सदन में पहुंचे, उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आप विधायक पीली पगड़ी पहनकर सदन में आए थे, जो भाजपा के विरोध का प्रतीक था। भाजपा विधायकों की मुख्य मांग थी कि मंत्री आतिशी द्वारा की गई टिप्पणी पर उन्हें माफी नहीं, बल्कि सजा मिलनी चाहिए। उनका आरोप था कि यह टिप्पणी अनुचित और आपत्तिजनक थी। वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा के हंगामे का जवाब अपने विरोध प्रदर्शन से दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की।

बीजेपी बोली- आतिशी की सदस्यता रद्द हो, केजरीवाल माफी मांगें

नई दिल्ली।

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी द्वारा गुरु तेग बहादुर के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए पार्टी से उनकी सदस्यता रद्द करने और तत्काल माफी मांगने की मांग की। एक आधिकारिक बयान में सूद ने कहा कि आतिशी को सदन से भागने और मामले का राजनीतिकरण करने के बजाय विवाद के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। आशीष सूद ने कहा कि आरोप लगाने के बजाय, आतिशी को सदन में आकर यह स्पष्ट करना चाहिए था कि उन्होंने वास्तव में ऐसा क्या कहा जिससे यह विवाद उत्पन्न हुआ, खासकर तब जब सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही गुरुओं के सम्मान की बात कर रहे थे। हमारे समाज में यह मान्यता है कि यदि कोई गलती हो जाती है और वह माफी मांग लेता है, तो वह व्यक्ति महान बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई होती और उन्होंने माफी मांग ली होती, तो पूरा देश उन्हें माफ कर देता। लेकिन इसके बजाय, सदन से भाग जाना, मुद्दे का राजनीतिकरण करना और सदन की संपत्ति के आधिकारिक वीडियो को झूठा बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सूद ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला करते हुए गुरुओं के कथित अपमान के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की और भाजपा की आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग को दोहराया।

उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह हठधर्मिता केवल आतिशी तक सीमित नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को दर्शाती है। गुरुओं का अपमान करने के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनकी पूरी टीम को देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कल, हमारे सभी मंत्रियों और विधायक दल की ओर से, हमने आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। आतिशी के व्यवहार को अड़ियल बताते हुए सूद ने जोर देकर कहा कि टिप्पणी के रिकॉर्ड को झूठा नहीं कहा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सदन अध्यक्ष ने स्वयं सदन में रिकॉर्ड को शब्दशः पढ़ा। जब अध्यक्ष आधिकारिक तौर पर इसे पढ़ रहे हैं, तो इसे झूठा कैसे कहा जा सकता है? इसे ही तो 'चोरी करना और फिर अवज्ञा करना' कहते हैं।

खनन नीति में हुए बदलाव की कांग्रेस ने की आलोचना, जयराम रमेश बोले- ये मोदी सरकार का नया झटका

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गैर-कोयला खनन परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरण मंजूरी नियमों में बदलाव को लेकर सरकार की आलोचना की है। पर्यावरण मंत्रालय के हालिया ज्ञापन के अनुसार, गैर-कोयला खनन परियोजना विकासकर्ताओं को पर्यावरण मंजूरी के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक, मंत्रालय को भूमि अधिग्रहण का प्रमाण चाहिए होता था।

कांग्रेस ने कहा कि यह जिम्मेदार पर्यावरण प्रशासन के लिए मोदी सरकार द्वारा एक और झटका है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा, गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए नीति यह रही है कि पहले कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाए। उसके बाद ही पर्यावरण संबंधी मंजूरी मांगी जा सकती है।

हालांकि, 18 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नीति में बदलाव किया गया और अब गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले पर्यावरण संबंधी मंजूरी मांगी जा सकती है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गैर-कोयला खनन परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की पूरी जानकारी के बिना सार्थक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कैसे किया जा सकता है,

यह समझना बहुत मुश्किल है। रमेश ने कहा, यह नीतिगत बदलाव देश में जिम्मेदार और जवाबदेह पर्यावरण प्रशासन के लिए मोदी सरकार द्वारा लगाया गया एक और झटका है।+पूर्व के नियम पर पुनर्विचार किया गया क्योंकि यह अनुरोध किया गया था कि गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करते समय भूस्वामियों की सहमति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण की स्थिति को मंजूरी प्रदान करने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मंत्रालय के एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया +मामले को गैर-कोयला खनन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के विचारार्थ भेजा गया था। विचार-विमर्श के बाद क्षेत्रीय ईएसी ने पाया कि गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए ईसी प्रदान करते समय भूस्वामियों से सहमति को अलग करने का अनुरोध उचित प्रतीत होता है और इसे स्वीकार किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है, ईएसी ने अन्य बातों के अलावा यह भी पाया कि कई खनन परियोजनाएं ऐसी हैं जहां ईसी मिलने के बाद खनन कार्य शुरू हो चुका है और आवश्यकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण अभी भी जारी है। आदेश में कहा गया है कि गैर-कोयला खनन ईएसी की सिफारिशों की जांच की गई और 7 अक्टूबर, 2014 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन (ओएम) की अन्य क्षेत्रों पर प्रयोयता के संबंध में टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर यह पाया गया कि ईसी के मूल्यांकन के समय भूमि अधिग्रहण दस्तावेजों पर जोर देना कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए व्यावहारिक नहीं हो सकता है।

तुर्कमान गेट के बाद अब जामा मस्जिद के पास चलेगा बुलडोजर? हाई कोर्ट ने एमसीडी दी 2 महीने की टाइमलाइन

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिष्ठित जामा मस्जिद के बाहर बढ़ते अतिक्रमण की समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को दो महीने के भीतर संपूर्ण सर्वेक्षण करने और सभी अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि तुर्कमान गेट के पास हाल ही में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान की तरह इस क्षेत्र में भी जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि ऐतिहासिक मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कें अनधिकृत दुकानों और अतिक्रमणों के कारण बुरी तरह से जाम रहती हैं। यहां तक कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद की सीढ़ियां भी इससे अछूती नहीं हैं, जहां विक्रेताओं ने रास्ते के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्मारक के पास स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। अतिक्रमणकारियों ने स्मारक के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिससे विरासत संरक्षण को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। जामा मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कों पर दोनों ओर और बीच में फेरीवाले बैठे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों का आवागमन मुश्किल हो गया है। ये अवैध निर्माण न केवल यातायात बाधित करते हैं बल्कि सदियों पुराने स्मारक की सुंदरता को भी प्रभावित करते हैं। अदालत ने एमसीडी को सर्वेक्षण पूरा करने और सभी अतिक्रमणों को शीघ्रता से

हटाने का निर्देश दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में, फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान के आसपास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास हिंसा भड़क उठी। जब नगर निगम विभाग ने अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया, तो कुछ स्थानीय और बाहरी लोगों ने कथित तौर पर पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर पत्थर फेंके। इस अराजकता में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए और अधिकारियों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। घटना के बाद, पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया और 30 अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान की। अधिकारियों ने घटनास्थल से लगभग 400 वीडियो एकत्र किए हैं और अधिक संदिग्धों की पहचान करने के लिए प्रत्येक क्लिप का विश्लेषण कर रहे हैं।

लाभकारी रासायनिक खादों का सबसे घातक प्रभाव

वैश्विक स्तरपर बीसवीं सदी में हरित क्रांति को मानव इतिहास की सबसे बड़ी कृषि उपलब्धियों में गिना गया,जिसने अकाल से जूझती दुनियाँ को अन्न-आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत बीजों के व्यापक उपयोग ने उत्पादन को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया। किंतु इक्कीसवीं सदी में वही कृषि मॉडल अब एक वैश्विक पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संकट का रूप ले चुका है। रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग मिट्टी की उर्वरता, भूजल की शुद्धता, खाद्य पोषण और जैव विविधता चारों स्तंभों को एक साथ कमजोर कर रहा है। यह संकट केवल किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका हर जगह इसके दुष्परिणाम स्पष्ट दिखने लगे हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि मिट्टी केवल फसल उगाने का माध्यम नहीं है,बल्कि यह एक जीवंत पारिस्थितिक प्रणाली है जिसमें अरबों सूक्ष्मजीव, केंचुए, फफूंद और जीवाणु सक्रिय रहते हैं। ये तत्व मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, पोषक तत्वों का चक्र चलाते हैं और पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषण उपलब्ध कराते हैं। रासायनिक खादों विशेषकर नाइट्रोजन,फॉस्फोरस और पोटाश आधारित उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग इस संतुलन को नष्ट कर देता है।लगातार रसायनों के प्रयोग से मिट्टी की जैविक कार्बन सामग्री घटती है, जिससे उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है और वह कठोर,निर्जीव तथा बंजर होने लगती है। अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संगठनों के अनुसार, विश्व की लगभग 33 प्रतिशत कृषि भूमि पहले ही किसी न किसी रूप में क्षरण का शिकार हो चुकी है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे कृषि प्रधान देशों में मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत तेजी से खत्म हो रही है। यह स्थिति दीर्घकाल में खाद्य उत्पादन को अस्थिर बना देती है और किसानों को और अधिक रसायनों पर निर्भर होने के लिए मजबूर करती है, एक ऐसा दुष्चक्र, जिससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। लाभकारी रासायनिक खादों का सबसे घातक प्रभाव मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों पर पड़ता है। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु, माइकोराइजा फफूंद और जैविक अपघटक जीव मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता के आधार होते हैं। जब रसायन सीधे पौधों को पोषण उपलब्ध करा देते हैं, तो ये सूक्ष्मजीव निष्क्रिय होने लगते हैं या मर जाते हैं। परिणामस्वरूप मिट्टी की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और वह बाहरी इनपुट पर निर्भर हो जाती है। साथियों बात अगर हम संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट को समझने की करें तो यह चेतावनी देती है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही,तो आने वाले दशकों में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि जैविक रूप से मृत हो सकती है। ऐसी मिट्टी में उत्पादन बनाए रखने के लिए रसायनों की मात्रा लगातार बढ़ानी पड़ती है, जिससे लागत, प्रदूषण और जोखिम तीनों बढ़ते हैं।रासायनिक खादों का एक बड़ा हिस्सा पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता और वर्षा या सिंचाई के साथ मिट्टी की निचली परतों में रिसकर भूजल में मिल जाता है। नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्व भूजल को प्रदूषित कर देते हैं, जो सीधे पीने के पानी के स्रोत बनते हैं। यह समस्या अब केवल ग्रामीण कृषि क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी गंभीर रूप ले चुकी है।भारत के इंदौर में जहरीला जल पीने से 15 से अधिक लोगों की मृत्यु की घटना इस संकट कीभयावहता को उजागर करती है। यह केवल एक स्थानीय दुर्घटना नहीं, बल्कि उस व्यापक समस्या का प्रतीक है जिसमें कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट और अव्यवस्थित जल प्रबंधन मिलकर मानवजीवन के लिए घातक परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, नाइट्रेट- प्रदूषित जल से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथियों बात अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जल संकट और कृषि रसायन को समझने की करें तो यूरोप के कई देशों,विशेषकर नीदरलैंड्स और फ्रांस में,भूजल में नाइट्रेट स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका है,जिसके कारण सरकारों को उर्वरक उपयोग पर कड़े नियम लगाने पड़े हैं। अमेरिका में डेड जोन की समस्या- जहाँ नदियों में बहकर गए पोषक तत्व समुद्र में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देते हैं,कृषि रसायनों के दुष्प्रभावका अंतरराष्ट्रीय उदाहरण है। यह दर्शाता है कि रासायनिक खाद का असर केवल खेत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नदियों, झीलों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तक फैल जाता है। साथियों बात अगर हम रसायनों के अत्यधिक उपयोगसे खाद्य पोषण में गिरावट और जहरीला भोजन इसको समझने की करें तो,रसायनों के अत्यधिक उपयोग से फसलें भले ही आकार में बड़ी और देखने में आकर्षक हों, लेकिन उनकी पोषण गुणवत्ता लगातार गिर रही तत्वों की कमी सीधे पौधों की पोषण संरचना को प्रभावित करती है।इसके अतिरिक्त कीटनाशकों और उर्वरकों के अवशेष भोजन में बने रहते हैं, जो मानव शरीर में धीरे-धीरे जमा होकर कैंसर, मधुमेह, हार्मोन असंतुलन और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने कई कृषि रसायनों को संभावित कार्सिनोजेन की श्रेणी में रखा है, जो इस खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों से जुड़ा स्वास्थ्य संकट तात्कालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और व्यापक होता है। किसान, खेत मजदूर और ग्रामीण समुदाय सबसे पहले इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन शहरी उपभोक्ता भी इससे अछूते नहीं हैं। भोजन, पानी और पर्यावरण तीनों माध्यमों से रसायन मानव शरीर में प्रवेश करते हैं।यह एक ऐसा साइलेंट पैंडेमिक है, जो धीरे-धीरे समाज की स्वास्थ्य संरचना को कमजोर कर रहा है और स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी बोझ डाल रहा है।मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट का सीधा असर उसमें रहने वाले जीव-जंतुओं पर पड़ता है। केंचुए, जिन्हें मिट्टी का किसान कहा जाता है,रासायनिक खादों के कारण तेजी से कम हो रहे हैं। कीटों और सूक्ष्म जीवों की विविधता में कमी से प्राकृतिक परागण और कीट नियंत्रण की प्रक्रियाएँ बाधित होती हैं। इससे जैव विविधता का संतुलन बिगड़ता है और पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो जाता है।पक्षियों, उभयचरों और जलीय जीवों की कई प्रजातियाँ कृषि रसायनों के कारण संकटग्रस्त हो चुकी हैं। यह केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है,क्योंकिपारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ने का अंतिम प्रभाव मानव जीवन पर ही पड़ता है। साथियों बात अगर हम जैविक खाद और टिकाऊ खेती:एकमात्र व्यवहारिक विकल्प, इसको समझने की करें तो इस वैश्विक संकट का समाधान रासायनिक खेती के विकल्पों में निहित है।जैविक खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी-कंपोस्ट और प्राकृतिक कृषि पद्धतियाँ मिट्टी की उर्वरता को पुनर्जीवित कर सकती हैं। ये न केवल मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को संरक्षित करती हैं, बल्कि भूजल प्रदूषण को भी रोकती हैं। जैविक खेती से उत्पादित भोजन अधिक पोषक और सुरक्षित होता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।विश्व के कई देशों ने टिकाऊ कृषि को नीति स्तर पर अपनाना शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ की फार्म टू फोर्क रणनीति, भारत की प्राकृतिक खेती पहल और अफ्रीका में एग्रो-इकोलॉजी आंदोलन इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सभ्यता के सामने एक निर्णायक मोड़ पैदा हो गया है,रासायनिक खादों का संकट केवल कृषि का मुद्दा नहीं है; यह मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा,खाद्यसुरक्षा और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो दुनियाँ को भोजन की कमी नहीं, बल्कि स्वस्थ भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है किअल्पकालिक उत्पादन लाभ के लिए दीर्घकालिक प्राकृतिक संसाधनों का बलिदान देना आत्मघाती है।

सम्पादकीय...

सीमाओं से घुसपैठ

महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में चुनावी हार और बिहार विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद, कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक सुधारों की मांगें बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। हाल ही में इस मुद्दे को उठाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हैं। उन्होंने संघ-भाजपा की संगठनात्मक ताकत की तुलना कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी से करके कांग्रेस में बहस छेड़ दी है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) की बैठक से पहले पार्टी में हलचल मचा दी, जब उन्होंने संघ-भाजपा की संगठनात्मक क्षमताओं और विकेन्द्रीकृत शक्ति संरचना की तारीफ की। उन्होंने अपने तर्क को एक पुरानी तस्वीर से और मजबूत किया, जिसमें कुर्सी पर बैठे एल.के. आडवाणी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोदी जैसे एक आम पार्टी कार्यकर्ता का कद इतनी बड़ी संगठनात्मक ताकत के कारण मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचा। सिंह ने सी.डब्ल्यू.सी. बैठक में भी कांग्रेस की तुलना में संघ-भाजपा की बेहतर संगठनात्मक ताकत के बारे में अपनी बात दोहराई। सिंह की बातों का समर्थन पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी किया। हालांकि, कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से पूरी तरह सहमति नहीं जताई, जब उन्होंने कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक सुधारों की मांग के लिए संघ का उदाहरण दिया। सिंह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 'नाथूराम गोडसे के लिए जानी जाने वाली' कोई भी संस्था गांधी द्वारा स्थापित संस्था को कुछ नहीं सिखा सकती। कांग्रेस स्थापना दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अप्रत्यक्ष रूप से दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, ''आज, स्थापना दिवस पर, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं- जो लोग कहते हैं, 'कांग्रेस खत्म हो गई है,' मैं उनसे कहना चाहता हूं... हमारे पास शायद कम ताकत हो, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी अभी भी सीधी है। हमने कोई समझौता नहीं किया है... न संविधान पर, न धर्मनिरपेक्षता पर, न गरीबों के अधिकारों पर। हम शायद सत्ता में न हों लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे।'' इस साल के आखिर में असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस को खुद को संभालना होगा और भाजपा का मुकाबला करने के लिए खुद को फिर से तैयार करना होगा। कांग्रेस ने दावा किया है कि इतिहास, मूल्य और विचारधारा उसकी मुख्य संपत्तियां हैं। ममता-शाह के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप = पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले, राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक-दूसरे की तीखी आलोचना की, जिससे एक तेज राजनीतिक लड़ाई का माहौल बन गया। अमित शाह, जो भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर थे, ने ममता बनर्जी पर डर, भ्रष्टाचार और कुशासन का माहौल बनाने का, साथ ही उनकी सरकार पर पड़ोसी बंगलादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित न करने का और राज्य की पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। अमित शाह ने यह भी कहा, ''दिल पर लिख लो, इस बार हमारी सरकार।'' दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला करने के लिए महाभारत के पात्रों का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से की और सीमा पर बाड़ लगाने और शासन पर शाह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तिरुवनंतपुरम में भाजपा का डंका - तिरुवनंतपुरम में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ, जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने कॉर्पोरेशन पर कब्जा कर लिया, जिससे माकपा के नेतृत्व वाले लैफ्ट डैमोक्रेटिक फ्रंट का 45 साल पुराना शासन खत्म हो गया। भाजपा के प्रदेश सचिव और कोडुंगानूर वार्ड के पार्षद वी.वी. राजेश 51 वोट हासिल करके तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर चुने गए। भाजपा प्रदेश सचिव राजेश की सहयोगी और पार्षद जी.एस. आशा नाथ को डिप्टी मेयर चुना गया है। हालांकि, सस्थमंगलम वार्ड से जीतने वाली पूर्व पुलिस महानिदेशक आर. श्रीलेखा को पहले मेयर बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन भाजपा नेतृत्व के एक वर्ग ने वी.वी. राजेश के लिए जोर दिया, क्योंकि जिले में जमीनी स्तर पर पार्टी बनाने में उनका लंबा अनुभव था। पार्टी नेतृत्व ने कथित तौर पर आर. श्रीलेखा को भविष्य में बड़ी भूमिकाएं देने का वादा किया है। अजीत पवार चाचा शरद पवार के साथ = दो साल से ज्यादा समय बाद, जब वे अलग हो गए थे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और राकांपा (एस.पी.) ने पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे नगर निगम चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना (यू.टी.बी.) गुट और कांग्रेस पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ दोनों चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर, भाजपा ने अन्य पार्टियों के साथ जगह सांझी करने से इंकार कर दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भगवा पार्टी के साथ सीट-शेयरिंग समझौता करने में नाकाम रहने के बाद, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी पुणे नगर निगम चुनावों के लिए पवार गुटों के साथ हाथ मिलाती दिख रही है।

लोकतन्त्र की पवित्रता पर सीधा सवाल

भारत का चुनाव आयोग जिन 12 राज्यों (तीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्र मिलाकर) में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कर रहा था उनके दूसरे दौर का काम पूरा हो चुका है जिसमें इन राज्यों में लगभग 13 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूचियों से कट गये हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 50.97 करोड़ से घटकर 44.40 करोड़ की रह गई है । इनमें सबसे ज्यादा मतदाता देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से कटे हैं जहां यह संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.55 करोड़ रह गई है। इससे यह साबित होता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष होकर गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है और ऐसे सभी मतदाताओं को सूचियों से हटा रहा है जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। अभी तक विपक्षी दल यह आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल भाजपा के सहयोगी की तरह काम कर रहा है और समाज के कुछ विशेष वर्गों के मतदाताओं के नाम सूची से उड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गये हैं उससे सत्तारूढ़ दल समेत विपक्षी पार्टियां भी हैरत में हैं कि आखिरकार किन लोगों के वोट कट रहे हैं क्योंकि इनमें सभी दलों के समर्थक शामिल हो सकते हैं। मगर असली सवाल यह है कि मतदाता सूचियों का पूरी तरह शुद्धिकरण हो और इनमें एक भी फर्जी मतदाता शामिल न रहे।

चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने के लिए संविधानतः पूर्ण अधिकृत है और यह अपना कार्य सीधे संविधान से शक्ति लेकर करता है। उसके किसी भी काम में कोई भी सरकार आड़े नहीं आती क्योंकि वह एक स्वतन्त्र व गैर राजनीतिक निष्पक्ष संस्था है। एक ओर जब चुनाव आयोग अपने गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है तो उसके इसी अधिकार को विपक्षी दलों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसमें दलील दी गई है कि आयोग किसी मतदाता की नागरिकता की जांच नहीं कर सकता। यह प्रश्न बहुत गंभीर है मगर बहुत सामान्य ढंग से इसका उत्तर दिया जा सकता है क्योंकि जब संविधान यह कहता है कि केवल भारत में रहने वाला वही व्यक्ति मतदाता हो सकता है जो भारत का वैध नागरिक हो तो उसकी नागरिकता की भी जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि गहन पुनरीक्षण का काम असंवैधानिक है।

सर्वोच्च न्यायालय में इसी मुद्दे पर सुनवाई चल रही है जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि उसे नागरिकता की जांच करने का पूरा अधिकार संविधान ही देता है। भारत का 1955 का नागरिकता कानून उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार देता है और 1946 का विदेशी नागरिकता कानून इसमें आड़े नहीं आता जिसमें विदेशी नागरिकों की जांच करने का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है। खैर यह उन कानूनविदों व अधिवक्ताओं का काम है जो सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर पक्ष-विपक्ष में बहस कर रहे हैं मगर सामान्य नागरिक की सामान्य बुद्धि की हैसियत से यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि वह केवल भारत के नागरिकों को ही मतदाता बनाये। इस सवाल के साथ भारत के लोकतन्त्र की पवित्रता का भी सीधा सवाल जुड़ा हुआ है क्योंकि यदि मतदाता सूची ही शुद्ध नहीं होगी तो लोकतन्त्र किस प्रकार शुद्ध रह सकता है जबकि चुनाव आयोग का गठन ही हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में लोकतन्त्र की मूलभूत आधारशिला रखने के लिए किया था। अतः मतदाता सूचियों से यदि अवांछित व अनधिकृत लोगों के नाम हटाये जा रहे हैं तो उनका आंख मून्दकर केवल राजनैतिक हितों की वजह से विरोध नहीं किया जा सकता और इसे चुनाव आयोग की अनाधिकार चेष्ठा नहीं कहा जा सकता। देश के सभी राजनैतिक दलों को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि जिस देश में चार करोड़ के लगभग फर्जी राशन कार्ड पाये गये हों वहां मतदाता सूचियों में फर्जी लोगों के नाम दर्ज क्यों नहीं हो सकते। अतः चुनाव आयोग जब लोगों से आवश्यक कागजाती सबूत मांगने के बाद ही मतदाता सूचियों को ठीक कर रहा हो तो उसका विरोध किस आधार पर हो सकता है? जिन 12 राज्यों उत्तर प्रदेश , प.बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप में गहन पुनरीक्षण का कार्य हुआ उन सभी में मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियां पाई गईं और प्रत्येक में पाया गया कि पहले से पंजीकृत मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन कर चुकी है।

इनमें ऐसे मतदाता भी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है मगर उनके नाम मतदाता सूचियों में विद्यमान थे। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 14 प्रतिशत मतदाता ऐसे पाये गये जो अपने दिये गये पते पर नहीं रहते और उन्होंने अपना स्थायी निवास बदल लिया है। लगभग तीन प्रतिशत मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और 1.65 प्रतिशत मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूचियों में पाये गये। अतः ऐसे मतदाताओं के नाम बदस्तूर जारी रख कर हम किस प्रकार के लोकतन्त्र की तरफ आमन्त्रित होंगे। चुनाव आयोग ने इन केवल तीन आधारों पर ही मतदाताओं के नाम पूरी निष्पक्षता के साथ यदि काटे हैं तो उस पर भारी शोर-शराबा करके चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने का क्या उद्देश्य हो सकता है और इसे वोट चोरी की संज्ञा देने का तात्पर्य क्या हो सकता है? गौर करने वाली बात यह है कि लक्षद्वीप जैसे छोटे से केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में जहां कुल मतदाता संख्या 57 हजार 813 है वहीं अगर डेढ़ हजार से ऊपर मतदाता फर्जी मिलते हैं तो करोड़ों की जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में इनकी मिकदार क्या हो सकती है? अतः उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में यदि क्रमशः 18.69 प्रतिशत व 15.18 प्रतिशत मतदाता कम होते हैं तो आश्चर्य की क्या बात है। अगले वर्ष जिन राज्यों केरल, तमिलनाडु, प. बंगाल में चुनाव होने हैं और इनमें मतदाताओं की घटी संख्या को किसी एक विशेष दल के पक्ष में नहीं कहा जा सकता है।

कौशल विकास और बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक

दुनिया के सभी बड़े देशों में भारत के पास अभी सबसे युवा आबादी होने का खास फायदा है। इसकी औसत उम्र, यानी वह उम्र जिस पर इसकी आधी आबादी उस उम्र से कम है, अभी 28.8 साल है। हालांकि, अवसर की यह खिड़की तेजी से बंद हो रही है। देश की औसत उम्र 2000 में 21.1 साल थी, 2020 में बढ़कर 27.0 साल हो गई और अनुमान है कि 2100 तक यह 47.7 साल हो जाएगी। ऐसे समय में जब कई अर्थव्यवस्थाएं बूढ़ी हो रही हैं, भारत की युवा वर्कफोर्स विकास को तेज करने और गति बनाए रखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। अगर तुलना करें, तो चीन की औसत उम्र अब 40.1 साल है और जापान की, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे बूढ़ी है, 49.8 साल है। हमारे जनसांख्यिकीय लाभ की ऊर्जा का इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है युवाओं को प्रभावी शिक्षा के माध्यम से और उन्हें जरूरी कौशल देकर प्रोडक्टिव बनाना। एक सराहनीय कदम में, मोदी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के. वी.वाई.) नाम की एक महत्वाकांक्षी प्रमुख योजना शुरू की। इसे एक परिवर्तनकारी हस्तक्षेप के रूप में सोचा गया था, जो स्कूल छोड़ने वाले, बेरोजगार युवाओं और कमजोर समूहों को शॉर्ट-टर्म, इंडस्ट्री से संबंधित ट्रेनिंग प्रदान करती है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में हमारे युवाओं की प्रोडक्टिविटी को बदलने और राष्ट्रीय निर्माण में तेजी लाने की क्षमता थी। हालांकि, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की एक हालिया रिपोर्ट, जिसे संसद में पेश किया गया है, ने जो खुलासा किया है, वह चौंकाने वाला ही कहा जाएगा। रिपोर्ट ने वास्तविक रोजगार लाभ पैदा करने और कौशल अंतर को पाटने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में योजना की सफलता पर सवाल उठाया है। इसने योजना के कार्यान्वयन में खराब प्रबंधन और यहां तक कि भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का भी संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में लाभार्थी सत्यापन, वित्तीय वितरण और वास्तविक रोजगार को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण कमियों का विवरण दिया गया है। उदाहरण के लिए, कई 'लाभार्थियों' के लिए पंजीकरण फॉर्म के साथ एक ही तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। 94 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी रिकॉर्ड में अमान्य या गायब बैंक विवरण थे, कई मामलों में बैंक खाता संख्या 11111111 दी गई थी। रिपोर्ट में पाया गया कि 34 लाख से अधिक प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए भुगतान लंबित था और केवल 18.44 प्रतिशत को सफल डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) प्राप्त हुआ था। कैग की टीमों ने स्किल ट्रेनिंग देने वाले कई सैंटर बंद पाए, फिर भी ट्रेनिंग को जारी दिखाया गया था। उम्मीदवारों की एनरोलमैंट उम्र, शिक्षा और अनुभव के मानदंडों का साफ उल्लंघन किया गया था। कुछ मामलों में, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले व्यक्तियों को तकनीकी रूप से मुश्किल नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। सर्वे में पाया गया कि स्किल्स देने और इंडस्ट्री की जरूरतों पर बहुत कम ध्यान दिया गया। कुछ खास स्किल्स में ट्रेनिंग दी गई, जिनके लिए इंडस्ट्री में कोई लेने वाला नहीं था। कुल मिलाकर, सर्टिफाइड उम्मीदवारों में से सिर्फ 41 प्रतिशत को ही प्लेसमैंट मिल पाया।

दो पड़ोसियों, चीन और पाकिस्तान के साथ पहले ही हमारे तनावपूर्ण सम्बंध

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर विशेषतौर पर ढाका गए, जहां उन्होंने बीएनपी के नेता और खालिदा जिया के बेटे तारीक रहमान को प्रधानमंत्री मोदी का शोक पत्र भी दिया। जिस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं जयशंकर की ढाका यात्रा को रिश्तों को पटरी पर लाने का प्रयास समझा गया। अपने दो पड़ोसियों, चीन और पाकिस्तान के साथ पहले ही हमारे तनावपूर्ण सम्बंध हैं। हम बांग्लादेश को भी उस तरफ खिसकने से रोकना चाहते हैं। जयशंकर का कूटनीतिक प्रयास अच्छा था, पर कुछ ही दिनों में उस पर पानी फेर दिया गया। मामला क्रिकेट से जुड़ा है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को शाहरुख खान की केकेआर आईपीएल टीम ने 9.2 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। कोई टीम उसी खिलाड़ी को खरीद सकती है जिसे बीसीसीआई ने पूल में रखा हो। स्पष्ट है कि केकेआर ने कोई गलत कार्यवाही नहीं की थी, पर यह चयन बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के बीच किया गया। पिछले 48 घंटों में दो हिन्दू, राणा प्रताप और मोनी चक्रवर्ती को वहां मार दिया गया है। भारत में लोकराय वहां के घटनाक्रम से उद्वेलित है इसीलिए मुस्ताफिजुर रहमान का मामला तूल पकड़ गया। विशेष तौर पर इसलिए भी क्योंकि टीम के मालिक शाहरुख खान हैं। सह-मालिक जुही चावला और उनके पति जय मेहता भी हैं, पर तथाकथित हिन्दूवादी संगठनों के निशाने पर एसआरके हैं। एक भाजपा नेता ने तो उन्हें 'गद्दार' तक कहा और भारत सरकार तथा बीसीसीआई दबाव में आ गए। जयशंकर तो सम्बंध मुरम्मत करने वहां गए थे, पर अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को आदेश दे दिया कि मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से हटा दिया जाए। खेल में फिर राजनीति घुस गई। बांग्लादेश की मुहम्मद युनुस सरकार को भारत विरोधी भावना भड़काने का एक और सुनहरा मौका मिल गया। आईपीएल से अपने खिलाड़ियों को निकालने के साथ ही उन्होंने यह फैसला भी ले लिया कि उनकी टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारत खेलने नहीं जाएगी। आईसीसी जिसके अध्यक्ष जय शाह है, से अनुरोध किया गया है कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में रखे जाएं, क्योंकि भारत में उनके खिलाड़ी असुरक्षित हैं। दोनों देशों के बीच क्रिकेट सम्बंध भी रुक गए हैं। बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। भारत की विदेश नीति पर कथित हिन्दूवादी संगठनों का दबाव हावी रहा। शशि थरूर ने इस कदम को 'बेतुका और शर्मनाक' कहा है। सचमुच कई बार भारत सरकार की विदेश नीति समझ से बाहर हो जाती है। पाकिस्तान के साथ अपने एशिया कप 2025 मैच में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था। भारत की टीम ने पाकिस्तानी अधिकारी मोहसिन नक्वी के हाथ से ट्रॉफी लेने से भी इंकार कर दिया। इसे पहलगाम में आतंकी घटना के विरोध में किया बताया गया। पर हाल की अपनी ढाका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से आगे बढ़ कर हाथ मिलाया। समाचारों के अनुसार हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के स्पीकर को अपना परिचय दिया और अच्छी तरह बातचीत की। सवाल तो यह है कि कौनसा कदम सही था? सूर्य कुमार यादव का हाथ न मिलाना या जय शंकर का हाथ मिलाना? इसी प्रकार यह सवाल भी उठता है कि क्या सही था, जयशंकर का ढाका जाना या मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालना? कूटनीति लचीली होनी चाहिए पर अस्पष्ट नहीं। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, यह मानना पड़ेगा कि मुहम्मद युनुस की सरकार का रवैया भारत विरोधी है। वह खुद निर्वाचित भी नहीं है, पर किसी तरह से सत्ता पर काबिज है। अपने इतिहास को नकारते हुए वह पाकिस्तान के साथ सम्बंध घनिष्ठ बनाने में लगे हैं। पाकिस्तान के साथ सैन्य गठबंधन की बात चल रही है। पाकिस्तान के सैनिक और आईएसआई के अधिकारी बार-बार ढाका का दौरा कर रहे हैं। चीन-पाकिस्तान-बांग्लादेश का भारत विरोधी गुट उभर रहा है। जब तक शेख हसीना वहां सत्ता में थीं, भारत विरोधी तत्वों को उन्होंने नियंत्रण में रखा था। युनुस उन्हें बेलगाम कर रहे है। हमारी भी गलती रही कि हम शेख हसीना के भरोसे रहे और बांग्लादेश के बाकी राजनीतिक ताकतों से सम्पर्क कम रखा। एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल दिए। अब जरूर बीएनपी से रिश्ते बेहतर करने के लिए जयशंकर ढाका गए हैं। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के अमीर ने भी बताया है कि भारत के राजदूत उनसे मिले थे। अगले महीने बांग्लादेश के चुनाव हैं। हैरानी है कि वह राजनीतिक दल जिसने उनकी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, शेख हसीना की अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी गई है। हसीना बहुत लोकतांत्रिक शासक नहीं थीं। उन्होंने भी अपने विरोधियों को कुचल दिया था, पर उनके समय बांग्लादेश ने प्रगति बहुत की थी। भारत के साथ 2009 और 2024 के बीच व्यापार में 600 फीसदी की वृद्धि हुई थी। 2023 में उस देश ने 6.1 फीसदी की दर दर्ज़की की थी जो पाकिस्तान से दोगुनी है। पिछले साल यह गिरकर 3 फीसदी के लगभग रह गई थी। जुलाई और दिसम्बर 2024 के बीच बांग्लादेश में 21 लाख रोजगार कम हुए थे। सड़क पर असंतोष को सम्भालने में असफल युनुस सरकार उसका मुंह भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। जब से स्टूडेंट लीडर ओसमान हादी की हत्या हुई है भारत विरोध और भड़क गया है। वहां की सरकार कह रही है कि हत्यारे भारत भाग गए हैं। वहां का भारत विरोध हमें समझ नहीं आता। आखिर उनकी आजादी की लड़ाई में हमने भी खून बहाया है। उनकी तरक्की में हमारा बड़ा योगदान है। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने लिखा है, वह राष्ट्र जो नरसंहार के खिलाफ संघर्ष में पैदा हुआ था अब सड़क हिंसा को सामान्य बना रहा है और अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर खामोश है सड़कों पर अस्थिरता, भय और खून है। अनुमान है कि शेख हसीना के निर्वासन के बाद हिन्दुओं पर दो हजार से अधिक हमले हो चुके हैं। देश के विभाजन के समय हिन्दुओं की वहां जनसंख्या 28 फीसदी के आसपास थी जो कम हो कर 2022 की जनगणना के अनुसार, 7.95 फीसदी रह गई थी। अब तो यह और भी कम रह गई होगी।

वहां भी हम पाकिस्तान की तरह नस्ली सफ़ाई देख रहे हैं और भारत बेबस है। विलियम वॉन शेंडल ने बांग्लादेश के इतिहास पर लिखी किताब में लिखा है, भारत में यह आम धारणा है कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता संग्राम में भारत के योगदान के प्रति पर्याप्त कृतज्ञता नहीं दिखाई। वहीं बांग्लादेश में यह धारणा है कि भारत ने केवल रणनीतिक हितों के लिए दखल दिया=। परिणाम है कि दोनों तरफ़ अविश्वास चरम पर है। ढाका के अखबार डेली स्टार ने लिखा है, =अब आपसी अविश्वास का शून्य पैदा हो गया है। बांग्लादेश समझता है कि नई दिल्ली साज़िश करने वाले भगौड़ों को पनाह दे रहा है, जबकि भारत समझता है कि वह बहुसंख्यकों की अराजकता की तरफ़ फिसल रहा है=। यह सही है कि वह देश अराजकता की तरफ़ फिसल रहा है। डेली स्टार का अपना दफ्तर दंगाइयों ने जला दिया था। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे अराजक तत्व और दुःसाहसी बन जाएंगे। बांग्लादेश दोराहे पर खड़ा है। इस बात की सम्भावना बहुत कम नज़र आती है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश एक शांत लोकतांत्रिक देश की तरह उभरेगा। उल्टा नफ़रत, हिंसा और क्रोध से भरे इस देश को सम्भालना बहुत मुश्किल होगा। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की स्पर्धा स्थिति को और जटिल बना देगी। उस देश का दुर्भाग्य है कि इस निर्णायक क्षण में बिना चुनाव लड़े मुहम्मद युनुस शासक हैं। युनुस भारत विरोधी कठपुतली हैं। उनके समय हालात और बिगड़े हैं। बांग्लादेशी वेबसाइट काउंटर पॉइंट में ज़फ़र सोभान लिखते हैं, सीधी सी बात है कि आज अल्पसंख्यक पिछली सरकार की तुलना में बहुत कम सुरक्षित हैं।धार्मिक असहिष्णुता में भारी वृद्धि हुई है। इसका सामना करने का इस सरकार ने बहुत कम प्रयास किया है और भारत यह सब देखता रहा। हम न दोस्ती कर सके, न दुश्मनी। बयान दागने के सिवाय कुछ ठोस नहीं किया। उन्हें चीन और पाकिस्तान के साथ गठबंधन में जाने से भी हम रोक नहीं सके। पिछले साल अपनी चीन की यात्रा के दौरान युनुस ने यह विवादास्पद बयान दिया कि उत्तर पूर्व भारत के सात प्रांत घिरे हुए हैं। उनका समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। केवल हम बांग्लादेशी समुद्र के संरक्षक हैं। इससे कई सम्भावना निकलती है। यहां चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है=। यह एक अत्यंत शरारती बयान है।

चीन जाकर हमारे सात प्रांतों की बात करने की जरूरत क्या थी? फिर चीन को वहां पसारने का निमंत्रण भी दे दिया। उनके कुछ सलाहकारों ने तो 'ग्रेटर बांग्लादेश' के सपने देखने शुरू कर दिये। एक ने तो कह दिया कि वह हमारे उत्तर-पूर्व पर कब्ज़ा कर सकते हैं। सवाल तो यह है कि इनकी ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत कैसे हो गई? बांग्लादेश को हमने तीन तरफ़ से घेरा हुआ है, केवल समुद्र रह जाता है। हम खुद को सुपर पावर समझते हैं। हम जब चाहें उनको जकड़ सकते हैं। हमें तो उनके समुद्र की अस्थायी नाकेबंदी कर ट्रेलर दिखाना चाहिए था लेकिन हमारी नीति ढीली है। न दोस्त ही बन सके, न ही दुश्मनी ही निभाई। ट्रम्प तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बेडरूम से उठा कर ले आए। हमने बड़ा कदम उठाया तो मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कल्पना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैराडाइज एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल

मुरादाबाद।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने नियुक्ति तिथि की परवाह किए बिना सभी सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में एबीआरएसएम ने समुचित कार्यवाही की उठाई मांग

कहा कि यदि इस निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया, तो इससे देशभर के लगभग 12 लाख शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। शैक्षिक महासंघ ने शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध किया कि वे इस विषय में हस्तक्षेप कर निर्णय को केवल भावी रूप से लागू किए जाने, अधिसूचना से पूर्व नियुक्त

शिक्षकों की वरिष्ठता, गरिमा एवं वैध अपेक्षाओं की रक्षा किए जाने तथा शिक्षकों को संभावित सेवा-समाप्ति एवं पदोन्नति से वंचित किए जाने से बचाने हेतु आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक कदम उठाए जाने की दिशा में पहल करें। इस अवसर पर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का स्वागत करते हुए उसके उद्देश्यों की सराहना की तथा विधेयक को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं व्यवहारिक बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक सुझाव भी मंत्रीजी को प्रस्तुत किए। इसके साथ ही उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न दीर्घकाल से लंबित समस्याओं के समाधान हेतु एक विस्तृत मांग-पत्र भी माननीय मंत्री को सौंपा गया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में संगठन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों को गंभीरता से समझते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारियों को इस विषय में समुचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े विषयों पर संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किए जाने का आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता, महासचिव प्रो. गीता भट्ट, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, विद्यालय शिक्षा प्रभारी शिवानंद सिंदनकेरा, एनआईटी शिक्षक फोरम के सयोजक प्रो. महेंद्र श्रीमाली, तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष हनुमंत राव तथा महासंघ की तमिलनाडु इकाई देसीय अस्तरियार संगम के महासचिव कंदसामी सम्मिलित थे।

हिन्दू कॉलेज के छात्र को ज़िन्दा जलाने की कोशिश

कॉलेज के ही दो छात्रों ने अंजाम दी वारदात

मुरादाबाद। हिंदू कॉलेज में परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इससे उसकी टांगें झुलस गईं। पुलिस ने दो नामजद छात्रों समेत चार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया और परीक्षा केंद्र पर मौजूद छात्र सहम गए। घायल छात्र को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। हमलावर कॉलेज के ही छात्र बताए जा रहे हैं। फिलहाल किसी पुरानी रंजिश या विवाद की ठोस वजह सामने नहीं आई है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कॉलेज प्रशासन व छात्रों से पूछताछ शुरू की। पीड़ित छात्र फरहाद पुत्र नवाब ने अपने बयान में अनुराग और आयुष नाम के दो छात्रों को जानने की बात कही है। पेट्रोल फेंकने वालों की संख्या चार बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। बताया जाता है कि पीड़ित छात्र हरथला सब्जी मंडी क्षेत्र का रहने वाला है और हिन्दू कॉलेज में बीकॉम का छात्र है। फरहाद परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉलेज परिसर से बाहर निकल रहा था, तभी पीछे से आए दो अन्य छात्रों अनुराग व आयुष ने उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिन्दा जलाने का प्रयास किया।

फातिमा शेख की जयन्ती आज, कटेगा केक

फतेहपुर। महात्मा ज्योतिबा फुले व देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की सहयोगी देश की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख की जयन्ती कल यानी आज मो0 आसिफ एडवोकेट के चैम्बर नं0-23 के निकट समारोहपूर्वक मनाई जायेगी। उक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता मो0 आसिफ ने बताया कि सुबह 10 बजे केक काटकर जयन्ती मनाते हुए फातिमा शेख के आदर्शों से लोगों को अवगत कराया जायेगा। उन्होंने लोगों से जयन्ती कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है।

नई सड़क के नाले को हाईवे के नाले से जोड़ने की मांग

विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने जेई को मौके पर बुलाकर दिए निर्देश

बिलारी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष केके गुप्ता के नेतृत्व में नई सड़क बिलारी के व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने नगर पालिका परिषद बिलारी द्वारा नई सड़क पर बनाए जा रहे नाले को पुराने नाले में मिलाए जाने पर आपत्ति जताई।व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका परिषद बिलारी द्वारा हाईवे पर जिस नाले का निर्माण कराया गया है, यदि उसी में नई सड़क बिलारी का नाला जोड़ दिया जाए तो आगामी बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से प्रभावी रूप से निजात मिल सकती है। बारिश के समय दुकानों और सड़क पर पानी भरने से व्यापार और आम जनजीवन प्रभावित होता है।मामले की गंभीरता को देखते हुए सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने नगर पालिका परिषद बिलारी के जेई को मौके पर बुलाया, जहां उन्होंने नई सड़क के नाले को नगर पालिका परिषद बिलारी के हाइवे वाले नाले में मिलाने के लिए जेई को आवश्यक निर्देश दिए। विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने कहा कि जनहित से जुड़े इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाएगा।

इस अवसर पर चिराग अग्रवाल, राहुल शर्मा, आरिफ अंसारी, अनुज गुप्ता, तारिक उस्मान, संजय शर्मा, अजय राठी, अनूप गुप्ता, किशनवीर यादव, हबीब अहमद, खलीक अहमद, घनश्याम गुप्ता, राजेश प्रजापति, राजवीर सिंह, पिंटू शर्मा, शिवेंद्र गुप्ता, मोंटी सिंघल, निक्की शर्मा, तुषार गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

डीएम ने स्कूल प्रबंधकों एवं पुस्तक विक्रेताओं के साथ ली बैठक

मुरादाबाद। कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में जनपद के समस्त सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संचालकों / प्रधानाचार्यों एंव पुस्तक विकेताओं की बैठक आहुत की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भी उपस्थित रहीं। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि सभी सीबीएसई विद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एनसीईआरटी/निजी प्रकाशकों से सम्बन्धित सूचना को उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा नवम्बर माह में सम्पन्न हुई बैठक में सभी विद्यालयों से प्राप्त सूचना को जनपद के पुस्तक विकेताओं के साथ बैठक कर साझा करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके कम में आज की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त सूचनाओं की प्रतियां का पुस्तकविक्रेताओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सभी पुस्तक विक्रेताओं को प्राप्त सूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध करा दी गईं। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को समस्त पुस्तकों से सम्बन्धित सूचना को एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराने के भी निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद को एनसीईआरटी की पुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में निदेशक, एनसीईआरटी को पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा सभी पुस्तक विक्रेताओं को समयान्तर्गत एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के आर्डर को प्लेस करने के भी निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा सभी विद्यालयों को अवगत कराया है कि इस वर्ष आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश प्रकिया में आवेदक द्वारा आवेदन में लगाये गये प्रमाण पत्र (जाति, निवास एवं आय) का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी के स्तर से कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त आर0टी0ई0 के अन्तर्गत आने वाली किसी समस्या के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद से सम्पर्क किये जाने के भी निर्देश दिये गये जिलाधिकारी द्वारा आहूत बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, डॉ विनोद कुमार, राजीव सहाय, दि ग्लोबल अट्टायर की चेयरपर्सन श्वेता जैन, राजेश कौशिक, अखिल अग्रवाल, सुनील अरोड़ा बन्टू, अंकुर, ताजदार उस्मानी समेत जनपद के प्रधानाचार्य / प्रबन्ध संचालक एवं बुल विक्रेता मुख्य रूप से मौजूद रहे।

भाजपा का एजेंडा सिर्फ़ ध्रुवीकरण: डॉ. एसटी हसन

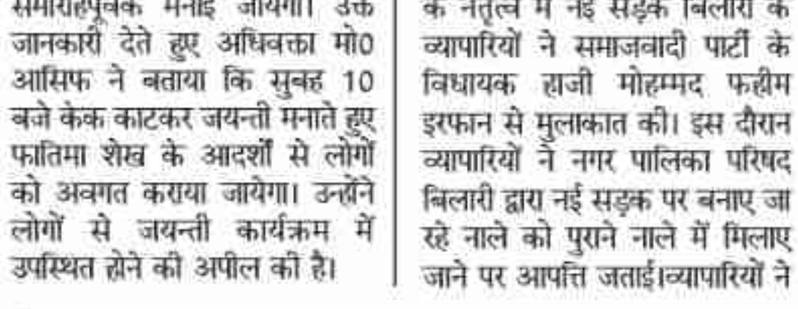

मुरादाबाद। पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन ने आरोप लगाया कि भाजपा विकास और रोज़गार जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुसलमान की राजनीति कर रही है। उन्होंने दिल्ली में मस्जिद के पास हुई हिंसा और बुलडोज़र कार्रवाई के लिए प्रशासन की कार्यप्रणाली को ज़िम्मेदार ठहराया है। डॉ. एसटी हसन ने कहा कि वह कानून हाथ में लेने के खिलाफ हैं, पत्थरबाज़ी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में, बिना विश्वास में लिए की गई कार्रवाई ने अफवाहों को जन्म दिया। मस्जिद कमेटी को विश्वास में न लेने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा को मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं, उनका एजेंडा सिर्फ़ ध्रुवीकरण है। उन्होंने रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बचाव किया। पूर्व सांसद ने कहा कि ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका की साज़िश है।

डीएलएड प्रशिक्षुओं को मिला निपुण आकलन प्रशिक्षण, 27 से 1866 विद्यालयों में शुरू होगा अभियान

फतेहपुर।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय के आदेशों के अनुपालन में डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए निपुण विद्यालय आकलन से संबंधित उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक आरती गुप्ता के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उन्मुखीकरण कार्यक्रम का संयोजन जनपद स्तरीय निपुण आकलन प्रभारी एवं प्रवक्ता डायट अमृत कुमार यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य आरती गुप्ता के प्रेरक संबोधन से हुआ। उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि निपुण आकलन में डीएलएड प्रशिक्षुओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकलन कार्य पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुचिता के साथ संपादित किया जाना

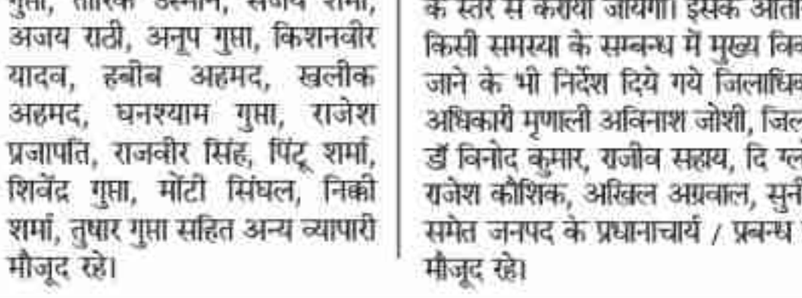

चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर भविष्य में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। कार्यक्रम के संयोजक एवं निपुण आकलन प्रभारी अमृत कुमार यादव ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रशिक्षुओं को पूरी गंभीरता एवं नियमानुसार निपुण आकलन करना है। आकलन प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्हें भली-भांति समझकर ही कार्य किया जाना आवश्यक है। उन्होंने जानकारी दी कि डीएलएड बैच 2023 एवं 2024 के प्रशिक्षुओं को जनपद के कुल 1866 विद्यालयों के आकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे संस्थान के 162 प्रशिक्षुओं की टीम द्वारा पूरा किया जाएगा। दो प्रशिक्षुओं की संयुक्त टीम एक दिन में दो विद्यालयों में कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों का आकलन करेगी। जनपद फतेहपुर सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में यह आकलन कार्य 27 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा। उन्मुखीकरण के तकनीकी सत्र को जनपद के राज्य गुणवत्ता समूह के सदस्य राधेश्याम दीक्षित एवं जयचंद पांडेय ने संबोधित किया। इस दौरान निपुण आकलन ऐप, रोड एलोंग ऐप, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डेमो आकलन सहित विभिन्न बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई। सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रशिक्षुओं ने अपने शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम का आयोजन दो सत्रों में किया गया।

प्रथम सत्र में डीएलएड बैच 2024 के प्रशिक्षुओं को प्रातः 10:00 से 12:30 बजे तक तथा द्वितीय सत्र में डीएलएड बैच 2023 के प्रशिक्षुओं को 1:00 से 3:30 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में संस्थान के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार सहित सभी प्रवक्ता उपस्थित रहे। निपुण आकलन के जरिए परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में फतेहपुर ने एक और मजबूत कदम बढ़ाया है।

जाफराबाद डबल मर्डर केस का खुलासा, 50 गोलियां बरसाने वाले दो शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

नई दिल्ली। जाफराबाद के चौहान बांगर में बीते 16 दिसंबर को हथियार सप्लायर नदीम और फजील नाम के व्यक्तियों की 50 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के दिल्ली व पड़ोसी राज्यों के सबसे बड़े तस्कर सलीम पिस्टल ने पिछले साल स्पेशल सेल को दिए बयान में नदीम को अवैध हथियार आपूर्ति करने की बात कही थी। नदीम ने पूछताछ में दानिश का नाम बता दिया था जिससे गुस्से में दानिश ने नदीम व उसके भाई की हत्या ही कर दी थी। स्पेशल सेल द्वारा नदीम व दानिश को अगर समय रहते गिरफ्तार लिया गया होता तब हो सकता है नदीम व उसके भाई की जान बच सकती थी। नवंबर व दिसंबर में आया नगर के बाद जाफराबाद में दूसरी ऐसी घटना घटी थी, जिसमें बदमाशों ने 50 गोलियां मारकर राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी। डीसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम असद अमीन व मोहम्मद दानिश है। असद अमीन, चौहान बांगर, जाफराबाद का रहने वाला है। उस पर पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज है। मोहम्मद दानिश, जाफराबाद का रहने वाला है और उस पर पहले से 25 आपराधिक मामले दर्ज है। दोनों कुख्यात गैंग्स्टर हाशिम बाबा गिरोह के शूटर है।

डीलिंग के सिलसिले में नदीम का नाम बताया

वारदात वाले दिन 16 दिसंबर को जाफराबाद में दो सगे भाइयों की 50 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों हत्यारे मौके से फरार हो गए थे भाग गए थे। यह हत्या अवैध हथियारों की डीलिंग से जुड़ी बदले की कार्रवाई थी।

अगस्त में कुख्यात हथियार तस्कर सलीम पिस्टल को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान, सलीम पिस्टल ने अवैध हथियारों की डीलिंग के सिलसिले में नदीम का नाम बताया था।

दो हवलदार के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगीं

नदीम ने पूछताछ में पुलिस को दानिश का नाम बता दिया था। तब से दानिश फरार था और नदीम द्वारा उसका नाम बताए जाने का बदला लेने की योजना बना रहा था। आठ जनवरी को क्राइम ब्रांच को दोनों आरोपित के गाजीपुर पेपर मार्केट में आने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने जब उन्हें समर्पण करने को कहा तब उन्होंने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी।

दो हवलदार के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगने से वे बाल-बाल बच गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोलियां लगने से वे घायल हो गए।

हाशिम बाबा गिरोह को देते हैं हथियार

इनके कब्जे से प्वाइंट 30 बोर, एक प्वाइंट 32 बोर, एक नाइन एमएम के पिस्टल, 11 कारतूस, छह खोखे व एक स्कूटी बरामद की गई। असद अमीन, हाशिम बाबा गिरोह का मुख्य सदस्य है। 2024 में जीटीबी अस्पताल में हुई फायरिंग की घटना में भी वह शामिल था। मोहम्मद दानिश, हाशिम बाबा गिरोह को हथियार आपूर्ति करता था।

आतंकियों की अब खैर नहीं, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने ली हाईलेवल मीटिंग, दिए ये निर्देश

श्रीनगर।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में आतंकवादी ढांचे और आतंकवादियों की फंडिंग को टारगेट करते हुए आतंक रोधी अभियानों को मिशन मोड में जारी रखने का निर्देश दिया गया. बैठक में यह भी बताया गया कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम ध्वस्त हुआ है. गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की.

बैठक में एलजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

जम्मू कश्मीर पर हुई उच्च-स्तरीय सुरक्षा समिति बैठक में अमित शाह के अलावा जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (आईबी) के निदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के प्रमुख तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

आतंकियों का पूरी सफाया करने के लिए कटिबद्ध: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार, जम्मू और कश्मीर में चिरस्थायी शांति स्थापित करने और आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करने के लिए कटिबद्ध है. आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए, शाह ने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम ध्वस्त हो गया है. गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि आतंकवादी ढांचे और आतंकवादियों की फंडिंग को टारगेट करके आतंक रोधी अभियानों को मिशन मोड में जारी रखा जाना चाहिए. केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को चौकसी बरतने का निर्देश दिया और तालमेल के साथ काम करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद हासिल हुई उपलब्धियों को बरकरार रखने और 'आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर के लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने के लिए कार्य करने को कहा. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रयास में सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.

> **बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि आतंकवादी ढांचे और आतंकवादियों की फंडिंग को टारगेट करके आतंक रोधी अभियानों को मिशन मोड में जारी रखा जाना चाहिए.**

संभल मंदिर-मस्जिद विवाद : अदालत में 24 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई

चंदौसी।(वेबवार्ता) उत्तर प्रदेश के चंदौसी की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की। यह मुकदमा दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। शाही जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद वारसी ने पत्रकारों से कहा कि इस मामले की सुनवाई आज (बृहस्पतिवार को) होनी थी लेकिन उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश होने के कारण सुनवाई टाल दी गई और अब अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई की वैधता को चुनौती दी थी लेकिन पिछले साल 19 मई को अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की इजाजत दी गई थी और मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि चूंकि इस मामले में उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी। यह विवाद पिछले साल 19 नवंबर को उस समय हुआ था, जब वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर कर दावा किया था कि मस्जिद एक पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

उसी दिन (19 नवंबर) अदालत के आदेश पर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण किया गया। दूसरे सर्वे के कारण संभल में हिंसा भड़क गयी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क व मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली के साथ-साथ 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

ममता / ईडी- कोलकाता में आई-पैक प्रमुख के घर छापेमारी पर भड़कीं सीएम बनर्जी ममता, भाजपा को दी खुली चुनौती

- छापेमारी में दखल को लेकर ईडी पहुंची हाईकोर्ट
- सीएम ममता पर सबूत मिटाने का आरोप

बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। गुरुवार सुबह ईडी ने चुनावी रणनीतिकार संस्था आई-पैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय पर छापेमारी की। खबर मिलते ही सीएम ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद वहां हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा जांच एजेंसियों के जरिए उनकी पार्टी का चुनावी डेटा और रणनीतियां चोरी कर रही है।

लोकतंत्र की हत्यारी है भाजपा- ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, अगर आप हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, तो एजेंसियों का सहारा क्यों ले रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने छापेमारी के दौरान टीएमसी की चुनावी रणनीतियों, संभावित उम्मीदवारों की सूची और गोपनीय डेटा को अपने सिस्टम में स्थानांतरित किया है, जो कि एक गंभीर अपराध है। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा, कृपया अपने गृह मंत्री पर लगाम लगाइए। ममता बनर्जी का दावा है कि ईडी ने टीएमसी के दस्तावेजों और रणनीति से जुड़ी फाइलों को लूट लिया है। वे मौके से एक ग्रीन फाइल लेकर बाहर निकलीं और दावा किया कि उन्होंने पार्टी के दस्तावेज बचा लिए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार यह कार्रवाई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश है। बनर्जी ने स्पष्ट किया कि टीएमसी एक पंजीकृत राजनीतिक दल है जो नियमित रूप से आयकर देती है, इसलिए उन्हें धन या बाहुबल से दबाया नहीं जा सकता।

कार्रवाई के बीच ममता फाइल उठाकर निकलीं; कहा- गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे

भाजपा का पलटवार- जांच में हस्तक्षेप

वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री के इस कदम की कड़ी निंदा की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के छापेमारी स्थल पर जाने को असंवैधानिक और केंद्रीय एजेंसी के काम में सीधा हस्तक्षेप करार दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर ने छापेमारी की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई है।

संयम को कमजोरी न समझें

ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि टीएमसी अब इस लूट के खिलाफ पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, हम आज संयम बरत रहे हैं, लेकिन अगर हम भी भाजपा के कार्यालयों पर इसी तरह छापेमारी करना शुरू कर दें तो क्या होगा? हमारे शिष्टाचार को हमारी कमजोरी न समझा जाए।

अंकिता भंडारी केस...नार्को टेस्ट के लिए भी हूं तैयार, अभिनेत्री उर्मिला सनावर का नया वीडियो वायरल

देहरादून। अभिनेत्री उर्मिला सनावर का सोशल मीडिया पर बुधवार को एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उर्मिला ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूछताछ की। जिसमें मैंने पूरा सहयोग किया और सभी सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही जो भी साक्ष्य थे वो भी उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि अंकिता के साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि वो पूरे देश की बेटी थी। उसके लिए भले ही सीबीआई या कोई अन्य उच्च स्तरीय जांच क्यों न करानी पड़े। अगर मेरा नार्को टेस्ट कराने की जरूरत हो तो उसके लिए तैयार हूं। सनावर ने कहा कि हमारा नाम राजनीति से जोड़ा जा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं कांग्रेसी हूं तो कोई कह रहा है कि भाजपा के गुटों में बंटी हुई है।

उन्होंने अंकिता मामले को लेकर राजनीति न करने की लोगों से गुहार लगाई। साथ ही कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि अंकिता को न्याय मिले। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की अमर उजाला पुष्टि नहीं करता है। उर्मिला सनावर आज हरिद्वार में एसआईटी प्रभारी के सामने पेश हो सकती हैं। इस पूछताछ में दोनों प्राथमिकी (नेहरू कॉलोनी और डालनवाला में दर्ज) के विवेचना अधिकारी शामिल रहे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि उर्मिला को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उर्मिला ने दोनों जांच अधिकारियों को सुरेश राठौर और उनके बीच हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप दी है। इसे वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। एसएसपी ने बताया कि उर्मिला ने अपनी सुरक्षा के संबंध में जो प्रार्थनापत्र दिया था उस पर एलआईयू से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि एक के बाद एक चार प्राथमिकी दर्ज होने पर उर्मिला एकाएक शांत हो गई थीं। उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। मंगलवार को उनकी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अचानक वायरल होने लगी। उर्मिला ने लिखा था कि वह उत्तराखंड आ रही हैं और अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित साक्ष्य एसआईटी को उपलब्ध कराएंगी। उर्मिला स्वामी दर्शन भारती के साथ मंगलवार रात करीब नौ बजे देहरादून पहुंची थीं। यहां कई स्थानों पर उनसे मीडिया ने भी संपर्क किया। सूत्रों के अनुसार सुबह होते ही उर्मिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उर्मिला से इस मामले के संबंध में कई सवाल किए गए। उनके पास जो ऑडियो-वीडियो हैं उनकी कॉपी भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है।

आम आदमी की पार्टी का चुनावी मंत्र! केजरीवाल बोले- जनता जिसे चाहेगी, आप उसे टिकट देगी

लुधियाना। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि पार्टी उन आम लोगों को चुनावी टिकट देने के लिए प्रतिबद्ध है जो अपने काम के जरिए जनता का विश्वास और समर्थन हासिल करते हैं। लुधियाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग है क्योंकि यह पैसे, प्रभाव या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर टिकट नहीं बांटती है। केजरीवाल ने एएनआई से कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों को टिकट देने वाली पार्टी है। आपको टिकट केवल आपके काम के आधार पर ही मिल सकता है। केजरीवाल उसी को टिकट देंगे जिसे जनता पसंद करती है। आप के संस्थापक सिद्धांतों को दोहराते हुए केजरीवाल ने कहा कि पार्टी का गठन आम पृष्ठभूमि के ईमानदार और सक्षम व्यक्तियों को राजनीति में लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और जन-केंद्रित शासन के लिए किया गया था। इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए उसे पंजाब विरोधी और सिख विरोधी बताया। मुख्यमंत्री मान ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी जी के वीडियो में गुरु तेग बहादुर जी के नाम का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा से सार्वजनिक माफी की मांग की, जिसे उन्होंने शर्मनाक कृत्य बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, मान ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आतिशी जी के उन शब्दों को जोड़ा है जो उन्होंने कभी नहीं बोले और गुरु तेग बहादुर जी का नाम गलत तरीके से जोड़कर पूज्य सिख गुरु का अपमान किया है। पोस्ट में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पंजाब और सिखों के खिलाफ रही है। आज फिर से उसका पंजाब विरोधी और सिख विरोधी चेहरा सामने आ गया है, जब उन्होंने आतिशी जी के वीडियो में उन शब्दों को जोड़ा है जो उन्होंने बोले तक नहीं थे और उसमें गुरु साहब का नाम जोड़कर गुरु साहब का अपमान किया है। इस शर्मनाक कृत्य के लिए भाजपा को सिख समुदाय और पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री मान की ये टिप्पणी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उठे राजनीतिक विवाद के बीच आई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा था कि भाजपा ने दिल्ली के एक्स अकाउंट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो क्लिप में भ्रामक उपशीर्षक जोड़कर विधानसभा में उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। पंजाब के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड धारक राज्य सरकार से 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 15 जनवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।

भारतीय एआई स्टार्टअप को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए - पीएम मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत पर दुनिया का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल नैतिक, निष्पक्ष और पारदर्शी होने के साथ-साथ डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हों। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप को इस देश से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए और उल्लेख किया कि भारत कल्याणीय एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को विश्व स्तर पर बढ़ावा दे सकता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले, भारतीय एआई स्टार्टअप के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए और उन्हें स्थानीय और स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यमी देश के भविष्य के सह-निर्माता हैं। अगले महीने आयोजित होने वाले एआई फॉर ऑल- ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज शिखर सम्मेलन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके 12 भारतीय एआई स्टार्टअप ने बैठक में भाग लिया तथा अपने विचारों और कार्य से अवगत कराया। बैठक के दौरान, मोदी ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एआई का लाभ उठाकर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि देश में नवाचार और व्यापक कार्यान्वयन, दोनों की अपार क्षमता है। मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए जो मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना को प्रतिबिंबित करे। ये स्टार्टअप विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल, बहुभाषी एलएलएम, 'स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-ऑडियो और टेक्स्ट-टू-वीडियो के अलावा ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और व्यक्तिगत सामग्री निर्माण के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करके 3डी सामग्री तैयार करना शामिल है। इनमें इंजीनियरिंग सिमुलेशन और विभिन्न उद्योगों में डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए उन्नत विश्लेषण तथा स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा अनुसंधान आदि शामिल हैं। बैठक में अवतार, भारतजेन, फैक्टल, गान, जेनलूप, ज्ञानी, इंटेलीहेल्थ, सर्वम, शोध एआई, सोकेट एआई, टेक महिंद्रा और जेंटिक सहित भारतीय एआई स्टार्टअप के सीईओ और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे।

सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 को सुनवाई, कपिल सिब्बल ने एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि द्वारा दायर उस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें उनके पति की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत की गई हिरासत को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के 28 दिन बाद तक हिरासत के आधार उपलब्ध नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत अधिकारियों पर यह बाध्यता है कि वे हिरासत के कारण 5 दिन और अधिकतम 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। सिब्बल ने यह भी अदालत को बताया कि बाद में वांगचुक को एक पेन ड्राइव दी गई, लेकिन उसमें वे चार वीडियो शामिल नहीं थे, जिनके आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर तथ्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वांगचुक का बचाव करते हुए सिब्बल ने कहा कि 24 सितंबर 2025 को दिए गए उनके भाषण में हिंसा को समाप्त करने की अपील की गई थी और उन्होंने हिंसा की खुलकर निंदा की थी। हिंसा की घटनाओं से व्यथित होकर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भी तोड़ दिया था।

यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स गायब! मतदाता सूची पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, लगाया गंभीर आरोप

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने गुरुवार को भाजपा पर उत्तर प्रदेश में फर्जी वोट बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। यह आरोप विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 28 लाख नाम हटाए जाने के बाद लगाया गया है। उन्होंने जनता से अपने नाम की जांच करने का आग्रह किया ताकि उनके वोट प्रभावित न हों। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि जब वे मतदान केंद्र पर पहुंचें तो मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यादव ने कहा कि जनता को अपने वोट को लेकर आश्वस्त रहना चाहिए और भाजपा के झूठे प्रचार में नहीं फंसना चाहिए... पहली बार हम देख रहे हैं कि भाजपा नेता उत्तर प्रदेश में एसआईआर से परेशान हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा फर्जी वोट डालती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग, जो पीडीए प्रहरी का समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। पूरी भाजपा फर्जी वोट डालने के मिशन पर है, क्योंकि इतने सारे वोट काटे गए हैं...

मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को वोटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जनगणना चरण के पूरा होने के बाद मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की घोषणा की। मसौदा मतदाता सूची से कुल 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए। प्रेस को संबोधित करते हुए नवदीप रिणवा ने कहा, -हमें लगभग 12 करोड़ 55 लाख जनगणना प्रपत्र प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके यह दर्शाया कि उनके नाम मसौदा सूची में शामिल किए जाने चाहिए। ऐसे मतदाताओं की संख्या 46.23 लाख थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 2.17 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराते समय जिस घर में रह रहे थे उसे छोड़ चुके हैं, स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, या लापता हैं, या फील्ड में तैनात मतदान अधिकारियों द्वारा नहीं मिल पाए हैं। 25.47 लाख मतदाता ऐसे थे जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। कुल मिलाकर, 2.89 करोड़ नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर, 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कुल 15,44,30,092 मतदाताओं में से 12,55,56,025 मतदाताओं ने 26 दिसंबर, 2025 तक अपने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं, जो एसआईआर के पहले चरण में भारी भागीदारी को दर्शाता है।